MR. DEPUTY-SPEKER : Shri K. Ramamurthy—absent ; Shri George Fernandes—absent ; Shri K. Ramamurthy again—he is absent.

Bills for consideration and passing.

15.04 hrs.

AGRICULTURAL COMMODITIES SUPPORT PRICE BILL

by Shri K. Lakkappa—*Contd.*

MR. DEPUTY SPEAKER : The House will now take up further consideration of the motion moved by Shri K. Lakkappa. Shri Sunder Singh to continue his speech.

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की बेहतरी के लिए यह सारा बिल है। मेरे खयाल में जो कुछ यहां होता रहा है वह किसानों के लिए ही होता रहा है। जो छोटे किसान हैं उनको तो फायदा पहुंच नहीं सकता, जो बड़े-बड़े किसान हैं उनको इसका फायदा है वे कीमतें बढ़ाते हैं। जो छोटे किसान हैं उनके तो साल के गुजारे भर को भी नहीं होता। वह बेचते नहीं हैं। वह तंग हैं। उनको मोल लेकर खाना पड़ता है। वे प्राइसेज बढ़ाना नहीं चाहते। श्री लकप्पा को यह पता ही नहीं है कि किसान कौन होते हैं, मुझे पता है कि जो शोर मचाते हैं कि ज्यादा कीमतें बढ़नी चाहिए, प्राइस कमीशन ने गलती की है, कीमतें कम की हैं, वह कौन हैं। उसने कहां कीमतें कम की हैं ? उसने सब का खयाल रखा है। गन्दुम को बढ़ा दो 200 रुपये कर दो, खाने की और चीजों को इतना कर दो, 5-6 रुपये दालों के कर दो तो गरीब लोग कहां जायेंगे ?

लैंड रिफार्म तो आपने किया नहीं है। बातें करते रहे हैं। चीप पापुलैरिटी लेने के लिए यह बिल आ गया है कि हम किसानों के बहुत वफादार हैं, किसानों की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं और किसान यह कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं ? हमें तो खाने को भी नहीं मिलता है। जिसके पास चार एकड़ जमीन है उसके पास साल भर के खाने भर को भी दाना नहीं है। ये उन किसानों की मदद करते हैं दरअसल जो विग लैंड लार्डस हैं। उनकी मदद करते हैं। जो बिग लैंड लार्डस हैं उन्होंने जमीन तो दी नहीं। प्रोपेगन्डा करते रहे बड़ी जबर्दस्त बड़ी देर से, मुझे पता है बड़ी देर से लोग कोशिश करते रहे हैं कि इन जमींदारों की बेहतरी होनी चाहिए। है जमींदारों की बेहतरी, इसमें कोई शक नहीं। मगर जमींदार कौन हैं ? गरीब आदमी जो है वह काश्तकारी करता है और जमींदार तो शहर में समोसे खाता है और सिनेमा देखता है। जो गरीब हरिजन और छोटे किसान हैं वही खेती का सारा काम करते हैं लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। हमारे स्पीकर साहब के पास कितनी जमीन है, स्पैरो साहब और राव साहब के कितनी जमीन है या ज्योति बसु साहब के पास कितनी जमीन है, इसका हमें पता नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नाम तो गरीब हरिजन और छोटे किसानों का ही लिया जाता है। लेकिन यहां पर जो बिल पेश किए जाते हैं उनका फायदा बड़े जमींदारों को ही मिलता है। जितनी भी नहरें हैं, ट्यूबवैल हैं, वह जमींदारों के लिए हैं। बैंकों का पैसा भी जमीदार ही ले जाते हैं। वे लोग अच्छे से अच्छा खाना खाते आलीशान मकानों में रहते हैं फिर भी कहते हैं कि जमीदार मर गये, मर गए। लेकिन असल में मरते हैं हरिजन और गरीब लोग। पंजाब में उनकी बुरी हालत है। आज जो बड़े-बड़े लीडर हैं उनके पास शानदार कारें

[श्री सुन्दर सिंह]

हैं लेकिन जो आदमी उनका काम करते हैं उनके साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं हैं कि मैं हमेशा से ही बड़े जमीदारों के खिलाफ रहा हूं क्योंकि ये लोग हरिजनों की लीडरशिप को आगे बढ़ने नहीं देते हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Even as a Minister, you were not able to do anything.

श्री सुन्दर सिंह : मैं जब मिनिस्टर था तब मैंने काम किया। मैंने पंजाब और हरियाणा में जमीनें दिलवाई। हमारे यहां ऐसा नहीं है कि हरिजनों को कोई वोट न डालने दे। हरिजनों को कोई मार भी नहीं सकता है। अगर कोई एक मारे तो हम दो मारते हैं। मैं तो हमेशा गरीबों की ही मदद करता हूं। लोग जानते हैं कि मैं कभी लैंडलार्डस की तरफदारी नहीं करूंगा इसीलिए मुझे लोग वोट देते हैं। यू०पी. और बिहार में ऐसे बड़े-बड़े लीडर्स हैं जिनके चिट्टे कपड़े और शानदार धोतियां होती हैं। लेकिन जरा उनके घरों को जाकर देखो, जो हमारे वोटर हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है। होना तो यह चाहिए कि हमारे जो वोटर हैं और हम में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, हमारी माली हालत उनसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं लेकिन कौन उनके उसूलों पर चलता है। भूमि चाहिए लेकिन प्राइस किसके लिये होनी चाहिये। गरीब बेचारा कहां से आपको प्राइस देगा। यह सब बिग जमींदारों का तमाशा है, गरीबों का नाम लेकर यह सब वह अपने लिये कर रहे हैं। लोग बड़े भोले हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं। हमने तो लोगों की मदद की है, लकिन जो बिग-जमींदार है वह कभी गरीबों को मदद नहीं करेगा। जिसके पास जमीन है, खाने को है, वह चाहे सी० पी० आई० हो, सी० पी० एम० हो या कांग्रेस हो, वह किसी भी प्रोग्रेसिव पार्टी को वोट नहीं डालेगा। हर तरफ बिग जमींदार छाये हुए हैं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यहां भी बैठे हुए हैं।

श्री सुन्दर सिंह : हमारे यहां बिग जमींदार तो गरीब को वोट डालने ही नहीं देता। उसके लोग पोलिंग बूथ पर जाकर बैठ जाते हैं और खुद ही सब के वोट डाल देते हैं। इस तरह से सोशलिज्म कैसे आयेगा कहां से आयेगा।

Even the morsel of food that we eat is taken away from another's mouth.

इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है यह सिर्फ बिग जमींदारों के वास्ते है। आप जमीनों की कीमतों को बढ़ने से रोकना चाहते हैं इसका किसान को कैसे फायदा होगा, हरिजन को कैसे फायदा होगा उसके पास तो जमीन खरीदने के लिये पैसा ही नहीं है। बड़े जमींदार इसका फायदा उठायेंगे। देहातों में गरीब हरिजनों को मारा जाता है, सताया जाता है। इसलिए मैं शुरू से कहता आ रहा हूं—लेंड रिफार्म करो। लेंड रिफार्म के लिए बिल आना चाहिए। अगर हिन्दुस्तान में लेंड रिफार्म हो जाय तो जमीनों का सारा सिलसिला ही खत्म हो जाये। शहरों में तो सब काम हो जाते हैं लेकिन देहातों में ये जमींदार नहीं होने देते। अगर कोई बोलता है तो उसको मार दिया जाता है। ये जो मारने की घटनायें होती हैं, 24 आदमी मार दिये गये, 26 आदमी मार दिये गये, इनको कौन

मारता है ? बिग जमींदार ही मारते हैं। क्षत्री ब्राह्मण, बड़े-बड़े आदमी मारते हैं। उन्होंने वहां अपनी सुपरीमेसी कायम की हुई है, जाट सुपरीमैसी, ब्राह्मण सुपरीमैसी, इस तरह से सारा सिलसिला चल रहा है।

मैं बाबू जगजीवन राम को यह सलाह दूंगा—आप चुप करके इधर आ जायं जिस तरह से एक और सज्जन आ गये हैं। उधर जाकर बैठने से कुछ नहीं होगा। हमारे पंजाब में दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर हैं—उन्होंने एक हरिजन को मिनिस्टर बनाया है, जो काबिल नहीं हैं, लेकिन कोटा पूरा करना था, इस लिए बना दिया। असल में हमारे पास लीडरशिप नहीं है। लेकिन इस तरह से आपकी जो पालिसी है उससे तो हरिजनों की लीडरशिप को खत्म करना है। इससे तो हमारा भट्टा बैठ जायेगा।

एक बात और बतलाता हूँ—जहां जाट की कब्र हो, वहां हरिजन को नहीं दफनाना चाहिए। वरना वहां भी वह रात को उठ कर हुकम देगा, फलां काम कर। इस फर्क को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हमारे ऐमाल में भी फर्क आना चाहिए। हम लोग जो यहां बैठे हैं जो गरीबों का वोट लेकर यहां आये हैं, मजे करते हैं, समोसे खाते हैं, आमलेट खाते हैं लेकिन गरीबों के लिए क्या करते हैं, हरिजनों के लिए क्या करते हैं हमारे रंगा साहब को देखिए—वह खड़े हो कर टोस्ट खाते हैं, सब के साथ खाते हैं, यह असली सोशलिज्म हैं, यह पहला चेहरा है जो आम लोगों के साथ बैठ कर खाता है, लेकिन दूसरे ऐसा नहीं करते।

हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ ? हरियाणा में क्या हुआ ? जो वहां हुआ है उसको आप ने देख लिया है। मैंने वहां कहा—राम प्रकाश को टिकट दो, चारों सीटें जीत जाओगे, लेकिन भजन लाल के कहने पर दूसरों को टिकट दे दीं, नतीजा क्या हुआ चारों सीटें हार गए। हरिजन लीडर के कहने पर नहीं दी, जो जमींदार हैं, बड़े लोग हैं उनके कहने पर दीं—नतीजा क्या हुआ आपके सामने है।

मैं सबसे पहली बात यह कहना चाहता हूं—जमीन की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, लैंड रिफार्म करना चाहिए। आज देहात के लोग चाहते हैं कि कीमतें न बढ़ें क्योंकि किसान कहां से खायेगा। 90 फीसदी किसानों को अपने खाने के लिए महंगे दामों पर खरीदना पड़ेगा। आज जमींदार ही शोर मचा रहे हैं कि जमींदार मर गया, लेकिन शहरों में अपनी प्रापर्टी बना रहे हैं सिनेमा बना रहे हैं और गरीब किसान के नाम पर प्रोपेगन्डा करके खुद उसका फायदा उठाना चाहते हैं।

अब मैं एक शेर सुनाता हूं—जो अकलमन्द हैं उनको इससे पता लग जाएगा कि वोट किसको डालना चाहिए।

मेरी अब जिन्दगी को ठोकरें खाना नहीं आता
मैं मजबूरे तमन्ना हूँ कि मर जाना नहीं आता,
तुम्हारी बज्म में आकर हमें जाना नहीं आता
पर यह दुनिया अपनी दुनिया है,
हमीं तो इसके मालिक हैं,
कोई बेगाने घर में कोई बेगाना नहीं आता।
पर तेरे मस्तों को ऐ साकी
शोरे-महशर क्या उठायेगा
ये वो हैं जिनको पीकर होश में नहीं आता।

*SHRI C. PALANIAPPAN : (Salem) : Hon. Mr. Deputy Speaker, Sir on benalf of my party, the Dravida Munnetra Kazhagam, I rise to say a few words on the Bill of my Hon. friend, Shri Lakkappa which seeks to ensure fair and

*The Orginal Speech was delivered in Taimil.

[Shri C. Palaniappan]

remunerative prices for agricultural products. I extend my support to this Bill. India's total area is 32,87,782 square kilometres. Our economy is dependent on agriculture. Agricultural alone will absorb the growing number of unemployment youth in the country. 80% of our people live in rural areas of our country. Though there are 460 District headquarters, 4 metropolitan towns, we have 5.5 lakh villages and there are more than 5000 Development Blocks in the country. The export of agricultural products like rice, sugar, tea, pepper, cardamom etc. earns in foreign exchage Rs. 4000 crores and more in a year. Through the export of agricultural and industrial machinery, we are earning only a few hundreds of crores in foreign exchange. I have referred to these basic facts just to emphasise that India's economy is dependent on agriculture and the Government must do everything to ensure fair price and remunerative price to agricultural products.

The Food Corporation of India has entered into an agreement with the USSR for the export of rice. Now, the farmers in Andhra Pradesh are not selling rice to F. C. I. because the price offered is unremunerative. The export agreement of F.C.I. with the U. S. S. R. is in jeopardy on account of the inability of F.C. I. to procure rice.

The price of chemical fertilisers has gone up by 300%. The prices of agricultural machinery are sky-rocketing. The power charges and the water charges are being increased frequently. The freight charges by train and the lorry charges are being increased. Recently the Govrnment have increased the price of wheat by Rs. 12 per quintal. The Members of Agricultural Prices Commission sitting in air-conditioned rooms are fixing prices of essential agricultural products, which bear no relationship with the cost of production. The country's backbone is agriculture and if the backbone is broken, then naturally the nation will face disaster. The economy will be shattered beyond recovery if the agriculturists do not get remunerative prices.

When I stress for remunerative prices, I will be confronted with the argument that already the Government is paying annually a subsidy of Rs. 800 crores for agricultural products and any increase in the quantum of subsidy will lead to increase in price of essential commodities for the consumers. I am unable to accept this argument. Even by cutting down drastically the administrative expenditure of the Central Government, the Hon. Minister of Agriculture should readily pay increased subsidy to the agriculturists. Then only remunerative prices can be given to the farmers of our country on whose broad shoulders the nation survives. The Tamil Nadu, particularly in Salem, Dharmapuri, Erode and other adjacent areas, more than 700 starch and sago factories are on the verge of closure because of non-availability of basic raw material called Kuchchivallikilangu. The cultivators who toil throughout the day, from the time the cock crows to the time of wailing of owl, (Kottan), are not getting remunerative prices. As you have now fixed remunerative prices for sugarcane, you should fix remunerative for Kuchchivallikizhangu also. The Hon. Minister of State for Agriculture hailing from Tamil Nadu know this problem too well and he should do the needful in this matter.

With these words I conclude my speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Virdhichandra Jain, he is absent; Shri Girdharilal Vyas, he is also absent. Shri Sudhir Giri. Are you ready ?

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) : Yes, Sir, Sir, now a days, the functions of the Government are increasing day by day. There were days when the Government had to act with the least. Now, the total ourden of looking after the welfare of the people has fallen upon the Government. Government is required to look to the production as well as the distribution system of the country more vigorously than before.

The production involves four factors and the prices paid for the factors of production should be suitable. Then only the agricultural production of this country will go on uninterruptedly and to the satisfaction of all concerned. At the same time, not only the price factors involved in respect of the production of the agricultural crops but the distribution system also has to be looked into.

Sir, I shall discuss these aspects in two ways. Prices of agricultural commodities has created a very grave problem in our country. For getting the agricultural produce prices increased, some twenty-eight to thirty farmers were killed in Maharashtra. So, Sir, a very careful handling of this problem is required. The State Governments have no power to fix the prices of agricultural produce and as the agricultural products are transferred from one state to another State it creates lot of problems for a deficit State.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. Members, we have already exhausted the time allotted for this Bill. There are still ten to twelve Members who want to speak. So, I want to know the opinion of the House as to whether we should extend the time.

SOME HON. MEMBERS : Yes. By two hours.

SHRI G. M. BANATWALLA : (Pounani) : Sir, you may extend the time but it should be done in a way that my Bill is taken up today.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think we may extend the time by an hour and half.

SOME HON. MEMBERS : Yes.

SHRI SUDHIR GIRI : Sir, because of lack of an integrated price policy on the part of the Central Government the production and procurement of foodgrains in our country has hampered and, as such, we had to import 15.15 lakh tonnes of wheat from USA and 7.50 lakh tonnes of wheat from Australia. Further, Sir, the price which we have paid to these two countries for the purchase of wheat is more than the price that we are paying to our own cultivators. This is most unreasonable and it should be dis-continued hencefourth.

Mr. Deputy Speaker, Sir, to ensure that the farmers are given proper remunerative prices the Government agencies like the FCI and JCI should pay a more active and vital role in purchasing the foodgrains from the producers. Without the active and prompt support of these two agencies the farmers in our country will be deprived of the reasonable price. The farmers are deprived in two ways. The marginal farmers, when they harvest their crop, they sell it at a reduced price and when they themselves are in need of these commodities they have to purchase at a higher price. In these two ways the small and the marginal farmers are being deprived in our country. I think it would be proper on the part of the Central Government to fix the prices before sowing.

Whether before showing price should be fixed or not is a matter of dispute ; and I am coming to this

[Shri Sudhir Giri]

point. Especially, while I am demanding that fixing of price should be made by the Central Government, I would like to refer to specific crops such as paddy, wheat, cotton, sugarcane, jute etc. All these, agricultural products should be supplied to the consumer at proper prices. The Central Government should take proper steps to ensure their proper prices. It is a fact that the Government agencies will ensure the procurement and giving of proper prices to the growers. But, what will be the price? How is this price fixed? The agricultural Prices Commission has taken steps for fixing the prices. But these are faulty, I think. Why? I am sorry to find this. While the Agricultural Prices Commisssion is fixing the price, for the purpose of fixing the price, they take into consideration the varieties of crops. There is difference in the varieties. They take into account the difference of varieties of one region and another region. Crops produced in one region may be different from crops produced in another region. In the other region the same crop is produced. That crop may differ in quality. Even for the same kind of crop there is difference in price in various regions. So it is very difficult to tackle these factors. The Agricultural Prices Commission has to work out the average cost of food crops and agricultural crops. They take into account the figures of various years. They have to take into account the price of crops produced in a particular year and the crops produced in the previous year. They take into account the cost of crops grown in different regions. These things create problems, in the matter of fixing average price. It is very difficult for the Agricultural Prices Commission to take into consideration all these various factors.

Now, the second important element is this: While the Agricultural Prices Commission is fixing the prices, they do not take into consideration the risk element which is involved. There are floods. There are droughts. There are pest attacks. Various other natural calamities are there. Because of the various natural calamities the farmers have to take the risk of losing their total crop or part of the crop. This risk element is always there. But this aspect is not taken into consideration.

When the Agricultural Prices Commission fixes the prices of the crops produced in a particular year, they should also take into consideration this 'risk aspect'. This is my submission.

We find that even when the Agricultural Prices Commission fixes the prices of crops produced in a particular year, Government do not accept those recommendations. There are several examples. I can give you one example. The Agricultural Prices Commission recommended the reduction in the prices of agricultural inputs. But Government did not accept it. As Government did not accept the reduction of the input prices, the small farmers and the marginal farmers had to suffer. And, due to the non-reduction of the fertilizer prices, the small and marginal farmers are not in a position to purchase those fertilizers.

While the Agricultural Prices Commission takes into consideration the cost of production of agricultural products, they must see that the prices of fertilizers should also be fixed so that, it will not adversely affect small and marginal farmers. These aspects should also be looked into by the Agricultural Prices Commission.

The Agricultural Prices Commission, while fixing the prices of agricultural commodities takes into consideration the cost of production

of the previous year and the cost of production of the present year, or the year in question. If these two years are taken together, it adversely affects the small farmers, as far as the agricultural prices are concerned. This should be discontinued.

It is the opinion of the Government that if the prices of agricultural commodities are fixed before sowing season, the farmer would be affected adversely. The Government says that during the period between the sowing and the harvesting, the input prices may vary or the prices of other factors may vary ; and if the prices are fixed before the sowing season, the farmers would be adversely affected, but I do not consider it so. This is so because the period only works out to two or three months and during this period, the prices of the different factors of production cannot vary in such a way that may adversely affect the farmers' position. In my opinion, the Government is trying to avoid the question of fixing the prices before the sowing season Shri Lakkapa, who has moved this Bill, has rightly pointed out that if the prices are fixed before sowing, the farmers would be able to determine which types of crop they should cultivate. That would definitely go in their favour. In view of this, the position taken by the Government is not tenable.

While we are demanding an increase in the prices of agricultural commodities in favour of the farmers, we also demand that the consumer should be least affected. According to the Government estimate, or the Planning Commission estimate, about 50% of the people live below the poverty line, but according to our estimates, about 70% of our people live below the poverty line. If the prices of the agricultural commodities go up, then this bulk of the masses would be adversely affected. Their interest should also be looked into by the Government. For this purpose, the Government should compensate in this way that the food supplies should be subsidised, and the subsidised foodgrains should be distributed through the fair price shops, that is the public distribution system. Without an effective and vigorous public distribution system, the prices cannot be controlled, or the consumers, bulk of whom live below the poverty line would be adversely affected. I would suggest that the Government should fix up the prices of agricultural commodities before sowing and while fixing the prices, they must take into consideration these aspects, that is, input prices, natural calamities, and fix the prices on scientific basis. While distributing to the poor people in the country, they must supply these materials through the public distribution system. If these aspects are taken into consideration by the Government, I think the producers of the country would be much benefited.

One more thing I would like to point out. There are some farmers, who are employing capital in their farms and they are capitalising the production system. I know that in spite of my adverse criticisms against this, the Government will not change its policy, because the present Indian state is the landlord capitalist state and this policy is diverted towards the benefit of the landlords and the capitalists. But, if the Government is really sincere in its efforts to do something for the common people, who live below the poverty line, they must take into consideration the very aspects, problems and difficulties of the agriculturists who are small and marginal and who are agricultural labourers.

With these words, I would again appeal to the Government that it should be sincere in practice about what they say in the public forums and in this House.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : एग्रिकलचरल कमोडिटीज स्पोर्ट प्राइस बिल जो माननीय लकप्पा जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। उसमें अस्सी प्रतिशत लोग किसान हैं। इस वास्ते जब तक किसान की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप पुराना इतिहास देखें। हमारे यहां सामन्तों, बड़े-बड़े जमींदारों का राज था। उनके चंगुल से हम लोग किस तरीके से किसान को निकाल कर लाए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने की कोशिश की है, इसको आप देखें। कांग्रेस की सरकार ने आप को मालूम ही है कि जमींदारियों को, जागीरों को, राजा महाराजाओं के कब्जे से लिया, पूंजीपतियों के कब्जे से लिया और जागीरदारों प्रथा को समाप्त किया। इसको खत्म करके किसान को जमीन का मालिक बनाया और इस प्रकार की व्यवस्था की कि जिससे वह अपनी जमीन में ज्यादा-से-ज्यादा पैदावार बढ़ा सके, उसमें ज्यादा पैदा करने की क्षमता पैदा हो सके। सरकार ने उसको इसके लिए शक्ति दी। जो खेतिहर मजदूर थे या जिनके पास कम जमीन थी, जो स्माल फार्मर थे या मार्जिनल फार्मर थे या लैंडलैस लेबरर्ज थे, सीलिंग का कानून लागू करके उनसे जमीनें लेकर इन लोगों को वे दी गईं और साथ-साथ सरकार के पास जो फालतू जमीन थी, उसको भी इन लोगों में बांटा गया। इस तरीके से आर्थिक तौर पर उनको सम्पन्न बनाने का कार्यक्रम सरकार ने अपने हाथ में लिया। लेकिन मैं समझता हूं कि और भी ज्यादा उनके हाथ में शक्ति देने की जरूरत है। जितना काम किया गया है उसी से उनकी आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती है। उनके वास्ते ठीक प्रकार से रोजी-रोटी की व्यवस्था इससे नहीं हो सकती है। हमें चाहिये कि हम और ज्यादा उनकी मदद करें को-ओपरेटिव्ज के जरिये, मार्किटिंग सोसाइटीज के जरिये। वैसे इस तरह की व्यवस्था सरकार ने भी की हैं। सस्ती खाद, सस्ता बीज, इनपुट्स उपलब्ध करने का काम सरकार ने किया है। लेकिन वह जिस तरीके से हो रहा है उसमें थोड़ी तबदीली लाने की जरूरत है। आज जितने भी हमारे विरोधी पार्टी के लोग हैं वे खास तौर से किसानों को भड़काना चाहते हैं सरकार के द्वारा इतना कुछ किए जाने के बावजूद भी। जितना काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन पिछले 34 सालों में किया है उतना काम विरोधी दलों के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हजार दो हजार साल में इनके पुरखे भी नहीं कर सके, जागीरदार, जमींदार, राजे महाराजे नहीं कर सके। अंग्रेजों ने दो सौ साल तक यहां राज किया। किसान की उन्नति के लिये उन्होंने कौनसा सहयोग किया ?

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : आपके पुर्खे होंगे, हमारे पुर्खे वह नहीं थे।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं जागीरदारों की बात कर रहा हूं, आप तो शिड्यूल्ड कास्ट हैं, आपके पुर्खे राजे-महाराजे नहीं हो सकते।

इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस तरीके के लोग यहां पर बैठे थे, जिनके टाइम में किसान को कोई फायदा नहीं मिल सका। कांग्रेस ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि किसान की ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो और उनकी आर्थिक उन्नति के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। उनकी इरिगेशन फैसिलिटीज

बढ़ाई है, बिजली का फायदा किया है। सब प्रकार की सुविधाएं धीरे-धीरे बढ़ाने की कोशिश की है।

इसके साथ ही साथ क्योंकि किसान को थोड़ा पैसा ज्यादा मिलने लगा, उसकी उपज बढ़ने लगी तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज से 5 साल पहले जो उसकी स्थिति थी, उसमें बहुत अन्तर आया है। ज्यों-ज्यों सरकार इनकी सपोर्ट प्राइस बढ़ाती है, त्यों त्यों किसान को ज्यादा पैसा मिलता है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

आज से 10, 15 साल पहले जब किसान की जमीन लोगों के पास गिरवी पड़ी होती थी, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। हमने उनको ऋण मिलने का कानून बनाया, उनकी जमीन को छुड़वाने का कानून बनाया इससे बहुत बड़ा अन्तर देश के किसानों में आया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा वह प्रोड्यूस करता है, हालांकि छोटा किसान जो पैदा करता है, उसमें से ज्यादातर उसकी अपनी जरूरत के काम आ जाता, लेकिन उसे अपनी जरूरत का और सामान खरीदने के लिए उसको अपना सामान बाजार में बेचना पड़ता है। उसके थोड़े दिन बाद और खरीदना पड़ता है उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सारी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। अगर उसको उसके माल की निश्चित कीमत मिलती है तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। मेरा कहना यह है कि किसान जो भी पैदा करे निश्चित तरीके से उसको फायदा मिलना चाहिये, ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलना चाहिये, मगर इसके साथ-साथ कंज्यूमर का इन्ट्रेस्ट भी देखा जाना चाहिये। अगर केवल प्रोड्यूसर का ही इन्ट्रेस्ट देखेंगे तो उससे भी परेशानी बढ़ जायेगी। हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जो पैदा नहीं करते, मजदूरी करते हैं। इसलिये दोनों के इन्टरेस्ट को देखना अत्यावश्यक है।

प्रोड्यूसर का इन्ट्रेस्ट देखना चाहिये कि जितना खर्च करता है, खाद, इम्पुट्स पर खर्च करता है, उस के मुकाबले उसको कुछ मुनाफा होता है या नहीं, उसके साथ-साथ जो लोग खाते हैं, उनको भी वाजिब दाम पर यह सारी चीजें मिलती हैं या नहीं। इन सारे प्रश्नों को हमें गम्भीरता से सोचना पड़ेगा, तभी काम चल सकता है।

इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने जो कमेटी बना रखी है, उसके जरिये से यह सारी चीजें तय होती हैं। कमेटी सारी चीजों को नाप-तौल कर सरकार के सामने अपनी बात रखती, सरकार पार्लियामैंट के सामने रखती है। पार्लियामैंट के सदस्य भी उस पर अपनी राय देते हैं कि यह कीमतें कम हैं और बढ़ाई जानी चाहियें। हमारी सरकार ने बराबर इस सम्बन्ध में ध्यान दिया है। पार्लियामैंट के सदस्यों ने जब भी सरकार से इस सम्बन्ध में निवेदन किया है, तभी निश्चित तरीके से उस पर गौर कर के किसानों की आर्थिक उन्नति के लिये प्राइस को बढ़ाने का काम किया गया है।

इसके साथ-साथ हमारी सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारे देश में बहुत बड़े-बड़े जमींदार, जागीरदार और पूंजीपति हैं, उनके पास 5, 5 और 10, 10 हजार बीघे जमीन है। मैंने पिछली बार कहा था कि पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यू०पी०, बिहार में जमीन फर्जी नाम से घोड़े और कुत्ते के नाम पर फर्जी तरीके से रखी हुई है जो कि उनके पास आज भी है।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

कुलाक्स और बड़े बड़े ज़मींदारों के खिलाफ़ जो भी कानूनी कार्यवाही हो रही थी, जनता पार्टी के शासन में उन्हें उससे छुटकारा मिल गया। कांग्रेस के राज्य में उनपर बराबर अंकुश रखा गया और उनकी ज़मीनों को लेने की कोशिश की गई, लेकिन बीच में परिवर्तन आया और इन लोगों को छुटकारा मिल गया।

बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में ज़मींदारों, जागीरदारों और राजा-महाराजाओं के पास आज भी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, पता नहीं, आपके यहां क्या हाल है। बड़े बड़े ज़मींदारों ने फ़र्ज़ी नामों से बड़े बड़े फ़ार्म स्थापित किए हुए हैं। सरकार को इन ज़मींदारियों को अपने कब्ज़े में लेने के लिए कदम उठाना चाहिए। कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि हमारे देश में 50, 55 परसेंट लोग ग़रीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। अगर उन लोगों को ऊपर उठाना है, तो बड़े ज़मींदारों की ज़मीनें अपने हाथ में लेनी होंगी और उन्हें ग़रीबों में बांटना पड़ेगा।

इन लोगों ने इस बारे में कुछ नहीं किया, बल्कि इन्होंने तो पूंजीपतियों और कुलाक्स को फ़ायदा पहुँचाया है। जो कुछ काम किया है, वह कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस के सिवा और कोई करने वाला नहीं है। कम्युनिस्ट लोग—चाहे वे मार्किसस्ट हों या सी पी आई के—सिर्फ फर्जी कार्यवाही करते हैं। वे बातें करते हैं मज़दूरों और किसानों की, लेकिन अन्दरूनी हालत कुछ और ही है। बंगाल में जा कर देखिए, तमाम बड़े बड़े लीडरों के पास लाखों करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति मौजूद है। लोक दल के लीडर भी कुलाक और बड़े बड़े जमीदार हैं। जब तक सरकार बड़ी बड़ी जमींदारियों पर कब्जा कर के उन जमीनों को लोगों में नहीं बांटेगी, तब तक गरीब लोग ऊपर नहीं उठ सकेंगे।

श्री लकप्पा अच्छा बिल लाए हैं, लेकिन इससे बड़े बड़े ज़मींदारों और कुलाक्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा और साधन हैं। उन साधनों को कम करना चाहिए। इस बिल में यह भी प्रावधान होना चाहिए कि बड़े बड़े कुलाक्स ने फ़र्जी नामों से जो ज़मींदारियां अपने कब्जे में कर रखी हैं, उन्हें खत्म कर के ज़मीन को गरीब लोगों में बांट दिया जाए। इसके अलावा सीलिंग के कानून के तहत डेजर्ट, पहाड़ी क्षेत्र, सिंचाई वाले क्षेत्र और बिना सिंचाई के क्षेत्र के मिकदार को बांध दिया जाए यह तय कर दिया जाए। कि एक परिवार के पास इससे ज्यादा ज़मीन नहीं होगी। उससे ज्यादा ज़मीन को ले कर गरीबों में बांट देना चाहिए, ताकि गरीबों को राहत मिल सके।

इन सुझावों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री लकप्पा द्वारा पेश किए गए एग्रीकल्चरल कामोडिटीज़ सपोर्ट प्राइस बिल का समर्थन करता हूं। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, इस बिल को लाने में उनके दो उद्देश्य हैं: एक, काश्तकारों को अपनी फ़सल की अच्छी कीमत मिले और दूसरे, देश की अन्न की पैदावार बढ़े। जब काश्तकार को अपनी प्रोड्यूस, पैदावार, का अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो वह पैदावार को बढ़ाने के लिए एनकरेज्ड होगा। इस में सपोर्ट प्राइस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सरकार आज के फ्लक्चुएटिंग भावों को कन्ट्रोल नहीं कर पाती है, इस लिए

काश्तकार जब अपनी फ़सल को बीजता है, तो वह अनुमान लगाता है कि मुझे अपनी फ़सल की इतनी रकम मिलेगी। परन्तु जब वह अपनी फ़सल को काटने लगता है तो वास्तव में उस का वह सोचना गलत साबित होता है, भाव इतने गिर जाते हैं कि उस को उस का उचित रिटर्न नहीं मिलता।

आज की खेती में इनपुट्स इतने बढ़ गए हैं और खेती का खर्चा इतना बढ़ गया है कि काश्तकार को उसके साथ खिलवाड़ करना पोसा नहीं पड़ता, उसके साथ एक्स-परिमेंट करना पोसा नहीं पड़ता। उसको गारन्टी होनी चाहिए कि वह जो फसल बोता है उसका उचित रिटर्न उसको मिले। ....(व्यवधान)... मैं व्यास जी से निवेदन करूंगा कि उनके बारे में मैं बाद जवाब दूंगा।

सपोर्ट प्राइस जो सरकार ने निर्धारित किया है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूँगा। सरकार की तरफ से एकोनामिक सर्वे जो 1981-82 निकला है उसमें से कुछ आंकड़े मैं पेश करना चाहता हूं। तीन चार जो खास खास फसलें हैं जैसे गेहूं के लिए स्पोर्ट प्राइस 130 रुपये रेकमेंड की गई थी सरकार ने उसे 142 रुपये किया। परन्तु आज गवर्नमेंट की पालिसी के कारण बाजार में कल्याण सोना जैसा रद्दी से रद्दी गेहूँ भी 180-190 रुपये है और फार्मिंग वैराइटी का जो अच्छा खाने लायक गेहूँ है वह 250 तक चला गया है। इसी तरह पैडी की सपोर्ट प्राइस 115 रुपये है, बाजार में छोटा काश्तकार खरीदने जाता है तो बहुत ऊंचे भाव पर उसे मिलता है।

शुगर केन की सपोर्ट प्राइस आपने 13 रुपये क्विंटल रखी है। शुगर केन की सपोर्ट प्राइस के बारे में एक बड़ी हास्यास्पद बात मैं निवेदन करना चाहूंगा और वह देखकर हंसी भी आती है, शुगर केन के बारे में प्राइस कमीशन की जो रिपोर्ट 76-77 की है उसके अन्दर ऐग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने कैलकुलेट किया कि कास्ट आफ प्रोडक्शन कितना आता है "The cost of production works out to Rs. 7.99 for U. P. and it was Rs. 8.50 for Bihar and in 1976-77 the cost of production was Rs. 8.50 per quintal"....76-77 के अन्दर जब कि 8.5 रुपये कास्ट आफ प्रोडक्शन आता था, इसी एकोनामिक सर्वे की 80-81 की रिपोर्ट के अन्दर उसकी सपोर्ट प्राइस भी 8.50 रखी है। कास्ट आफ प्रोडक्शन भी 8.50 रुपये और सपोर्ट प्राइस भी 8.50 रुपये – यह क्या सोच कर सपोर्ट प्राइस उन्होंने रखी ? फिर काश्तकार को बचेगा क्या ? अगर इस तरह से सपोर्ट प्राइस के फिगर्स कम्पूट किए जाते हैं और मुकर्रर किये जाते हैं तो वह असलियत से बहुत दूर है। इसका नतीजा होता है कि प्रोडक्शन गिरता है देश का।

प्रोडक्शन के बारे में कुछ फिगर्स मैं रखना चाहूंगा क्योंकि सारी आप की प्लानिंग जो एग्रीकल्चर के लिए है, सारी सपोर्ट प्राइस और काश्तकार के लिए सारी मदद जो है उसका एक ही लक्ष्य है कि देश को ज्यादा से ज्यादा अन्न मिल सके, वह टार्गेट अचीव कर सके। यह सारा अगर आपका फेल होता है तो देश का प्रोडक्शन गिरेगा और वह गिरा है।

15.57 hrs.

[SHRI HARINATHA MISRA *in the Chair*]

इसके नमूने के तौर पर मैं कुछ फिगर्स रखना चाहूंगा। एकोनामिक सर्वे 81-82

[श्री भीम सिंह]

के टेबल 2.1 के अन्दर 78-79 में राइस का प्रोडक्शन आया 53.77 मिलियन टन्स जबकि 80-81 के अन्दर वह गिर कर 53.23 मिलियन टन्स हो गया। फिर आप गेहूं को ले लीजिए। गेहूं का 35.5 मिलियन टन था वह जा कर थोड़ा बढ़ा 36.46 हो गया। कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। अदर सीरियल्स का ले लीजिए। उनका 78-79 में प्रोडक्शन था 30.44 और 80-81 में गिर गया, 29.01 रह गया। टोटल फूड ग्रेन्स आफ दि कन्ट्री का प्रोडक्शन ले लीजिए। 78-79 के अन्दर 131.90 मिलियन टन्स था जो गिर कर 129.87 मिलियन टन रह गया। शुगर केन का 78-79 में था 15.73 जो 80-81 में गिर कर रह गया 15.40। इस तरह से लगातार गिरता गया। मैं इसके बारे में एग्रीकल्चर मिनिस्टर से थोड़ा सा जानना चाहूंगा। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भविष्य में लिए प्रोडक्शन की फोरकास्ट की थी। एकोनामिक सर्वे रिपोर्ट में गवर्नमेंट की फोरकोस्ट आई है :

"The production of foodgrains during 1981-82 is expected to reach an all time high of 80 million tonnes which is 2.5 million higher than the production of 1980-81."

मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि आपका यह अनुमान सही निकला या गलत, और क्या इतना प्रोडक्शन आपका बढ़ा ?

उन्होंने एक दूसरी फिगर यह दी थी :

"As a result of this, the production of foodgrains as a whole is as high as 134 million tonnes in 1981-82."

मैं जानना चाहूंगा कि क्या 134 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ ? शुगरकेन के लिए आपने कहा है :

"According to available evidence, the sugarcane production may show a significant increase in 81-82 over the previous year."

ग्राउण्डनट के लिए भी आपने कहा था कि 20-25 परसेन्ट हायर प्रोडक्शन होगा। मैं जानना चाहूंगा यह आपके जितने भी प्रेडिक्शन्स थे, वह सही निकले या गलत ?

16 hrs.

मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ की प्राइसेज़ के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्याज़, ज़ीरा वगैरह जो हैं जोकि मिडिल ईस्ट कन्ट्रीज़ को एक्सपोर्ट होती हैं उनकी जब फसल निकलती है उसके पहले ही गवर्नमेन्ट कोई पालिसी नहीं बनाती। सरकार की ओर से रेस्ट्रिक्शन्स लगा दिए जाते हैं और जब मिडिलमैन उन चीज़ों को खरीद लेते हैं तब रेस्ट्रिक्शन्स हटा लिए जाते हैं। तब उन चीज़ों के भाव शूट कर जाते हैं। इससे किसान को नुकसान पहुँचता है और मिडिलमैन को लाभ होता है। इस बारे में आपकी पालिसी कंसिस्टेन्ट होनी चाहिए।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि श्री गिरधारी लाल व्यास को यहां पर सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे सन् 1947 से वे सोये हुये हों और आज गाढ़ी नींद से एकदम जाग गए हों। यह बिल एग्रीकल्चरिस्ट्स के फायदे के लिए, उसको सपोर्ट प्राइस देने के बारे में है लेकिन उनको नजर आ रहे थे रईस, स्टेट्स, जागीरदार, जमीदार वगैरह। वे कह रहे थे कि इनका सबका बन्दोबस्त हो। उनको पता ही नहीं कि सरदार पटेल ने ही हिन्दुस्तान के जागीरदारों को और स्टेट्स को खत्म कर दिया था और जमीदारों का भी खात्मा हो गया है। आज इस देश में न तो स्टेट्स हैं

और न रियास्तें, न जागीरदार हैं और न जमींदार। फिर पता नहीं वे किस चीज की बात कर रहे थे? वे इस बात को क्रिटिसाइज करना भूल गए कि आज जो मिडिलमेन हैं उनसे किसानों को सबसे अधिक नुकसान पहुँच रहा है। मिडिलमेन ही आज काश्तकारों को एक्सप्लायट करके ऊंचे भाव पर कंज्यूमर्स को बेच रहा है। इस सम्बन्ध में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। आज मिडिलमेन सरकारी अफसरों को मैनीपुलेट करके काश्तकारों को एक्सप्लायट करते हैं—इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस बात को उन्होंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि आज मिडिलमेन ही कांग्रेस सरकार को चुनावों में चन्दा देते हैं। इसीलिए आज उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है। (व्यवधान) मैं जानता हूँ सही बात बहुत बुरी लगती है। काने को काना कहा जाए तो उसे भी बहुत बुरा लगता है। उन्हें काश्तकारों को सपोर्ट करना चाहिए था।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI S.B. SIDNAL (Belgaum) : Sir, at the outset, I congratulate Shri Lakkappa for having brought forward this Bill to highlight the problems faced by agriculture. Because, the progress of agriculture in this country has been a very slow process. No doubt, after independence agriculture has been given importance but, looking at the progress relative to industry, it is very poor.

Even now the very concept of agriculture is of big landlords. It is viewed in that wrong light at least in Karnataka. We have implemented the land reforms in toto. But unless a remunerative price is given to the agriculturist by the Government, unless a supporting price is given to agricultural production, any amount of legislation will not help to boost production.

Agriculture has two aspects—irrigated farming and non-irrigated farming. In irrigated farming one of the inputs necessary in fertilizer. What is the price of fertilizer now? Can a small farmer afford to purchase fertilizer at this price and then increase production? At the same time, if he does not put in the inputs, he will not get any yield at all, in which case even the question of price will not arise If we have to produce more, the price must be remunerative; then only he will get the incentive to work hard in the field.

In the case of dry farming, the farmer has always to dance according to the tune of the monsoon. Sometimes it is normal and mostly it is a failure. The failure of monsoon creates drought conditions in various parts of the country. The condition of the farmer who is engaged in dry farming is so bad in this country that many a time he has to sell out his land for the education of his children, the medical expenses of his family members or just for the sake of living. He cannot make both ends meet from the income of the land.

Of course, agriculture as a science has progressed and we have invented many high-brid and quick-yielding varieties. But the poor farmer cannot take advantage of them because he has no knowledge of the type of the soil, how to control pests, how to use fertilizers and thus get increased production in a limited land. His main weakness is the want of proper education about agriculture. We have got so many engineering and medical colleges and many other educational facilities for the benefit of the urban population. But we have not given the required education to the agriculturists. The scientific approch, which is required

[Shri S. B. Sidnal]

for agriculture, is not being provided. So, I would urge upon the Government to establish agricultural schools in every taluk to create the scientific approach in the agricultural community so that they may produce more wealth for the country.

Coming to a remunerative price, if we make a comparison of agriculture with industry, we find that it has not been given a fair deal. If a small scale industrialist wants to purchase a small plot of land or some machinery, the bank is jumping to help him with a sizable amount. But if a farmer goes to a bank for a small amount of loan just to dig a well, he is asked to pledge his land, his house and other property. While an industrialist gets more money and quick omeney, an agriculturist gets less money and that too very late. In such circumstances, how can we expect more production from agriculture?

If an industrial unit goes sick, the Government will take over it and run it in the interest of the public. But if an agricutural unit becomes sick for want of rain or inputs like fertilizers, nobody is taking care of them. On the other hand, if on account of the failure of the monsoon, a dry farmer is not able to pay an instalment to a bank, his whole property is taken away mercilessly by the bank.

In this way, if we don't give remunertive prices, if we don't give support prices, he will not have interest to produce more. We say that agriculturist is always the backbone of our country. Yes, he is a backbone of the country. But how far are we having interest in him ? How far have we involved him in production and what are the facilities we have provided for him ? Are we giving him fertiliser at a cheaper rate ? Of late, the labour also is very costly. He has to pay for the labour, he has to pay heavily for the fertiliser and he will not get good yield even if he works hard. A good agricultural community or family works from morning to evening without any holiday. without any relaxation, without any entertainment, througout the year. What can he do if he does not get the proper price ? He has to sell his produce at the mercy of the commission agents. Even if there are regulated markets, he will not get proper price because he takes loan from the commission agent who will suck his blood and swallow him totally. He is born in debt and he will die in debt. Unless the Government takes it seriously and the support price is given, he will not survive. In Japan, in Korea, in the States, even in Israel. you will be amazed to see how much progress they have made because of the keen interest taken by the Government machinery and the top people through their policies and legislation. In this country the kisan is not cared much. In USA the support price is periodically decided every 4 or 5 years. If there is a bumper crop and if the prices fall in the market, the Government will purchase it and keep it in the godown and sell it to other countries as it suits them. Here we do not have any godown facilities, we do not have any facilities for getting good price. If we do not get good price for the kisan, how can he survive ? Therefore, periodically, say, in a minimum period of 2 to 5 years, the support price should be given to him and his produce should be preserved in good and scientific godowns because we are equally interested in the consumer.

MR. CHAIRMAN : You may conclude now. Not that I want to prevent you, but the time is so limited now. Within an hour the Minister has to reply.

SHRI S.B. SIDNAL : I quite agree and appreciate your point. But this is a very important subject.

MR. CHAIRMAN : I know.

SHRI S.B. SIDNAL : Rarely it sees the light of the day. Let me take another minute or two to express my views. I quite agree. I will conclude.

Sir, with all these difficulties the kisan of this country has prevented us from begging in the international world. So, in his interest the support price is a must and it should be given every 4 or 5 years. Sugarcane, pulses, cotton, groundnut—all these are just sold at the mercy of the commission agent. Thanks to the Prime Minister, she has nationalised the banks ; at least the kisan can boldly go to any bank and approach it for loan. But the officials of the banks—I do not make any allegation—have not yet treated the agriculturist as their own brother. When they do it, that becomes a ceremonial day for this country and the kisan of this country never lags behind to produce more in comparison to other countries.

I thank you very much for having afforded me the time.

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : सभापति महोदय मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और समर्थन इसलिए करता हूं कि मैं यह अनुभव करता हूँ कि हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, हमारी राष्ट्रीय आय बढ़नी चाहिए और राष्ट्रीय आय बढ़ाने का सब से आसान अगर कोई तरीका है, तो वह यह है कि किसानों का उत्पादन बढ़े। किसानों का उत्पादन बढ़ने से राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और साथ ही साथ विदेशों में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी क्योंकि हमें बाहर से अन्न नहीं मंगाना पड़ेगा। इसलिए किसानों का उत्पादन बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है।

किसानों का उत्पादन बढ़ाने से, किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक करने से—केवल इसलिए नहीं कि किसानों की समस्या हमें हल करनी है, किसानों का हित करना है—सबकी तरक्की होती है, सब की उन्नति होती है। आप अगर देश के उस क्षेत्र में जाएं, जहां किसानों की हालत अच्छी है, तो आप यह पाएंगे कि वहां के मजदूरों की हालत अच्छी हैं, वहां के दुकानदारों की हालत अच्छी है, वहां के व्यापारियों की हालत अच्छी है, छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे करने वालों की हालत अच्छी है और वहां पर अच्छे कार्य हो रहे होंगे और अगर आप उस क्षेत्र में जाएं, जहां कि किसानों की हालत खराब है, तो वहां आप यह देखेंगे कि वहां पर मजदूरों की हालत खराब है, वहां के दुकानदारों की हालत खराब है, वहां के व्यापारियों की हालत खराब है। जहां के किसानों की हालत अच्छी है, वहां पर आप को ज्यादा स्कूल और कालेज दिखाई देंगे और जहां के किसानों की हालत खराब है, वहां पर ये नहीं होंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि किसानों की हालत को सुधारना चाहिए क्योंकि इससे देश के हर क्षेत्र के लोगों की उन्नति होती है। आप अगर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जा कर देखें, जहां कि किसानों की हालत अच्छी है, तो वहां आप यह पाएंगे कि वहां सब की स्थिति अच्छी है। वहां के गांवों को आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनकी हालत बहुत अच्छी है और जहां पर किसानों की हालत खराब है, तो वहां के जिलों की हालत भी कस्बों से खराब मिलेगी। जहां पर किसानों की हालत अच्छी है, वहां पर आपको ट्रैक्टर दिखाई देंगे और जब ट्रैक्टर होंगे, तो उनकी

[श्री दिगम्बर सिंह]

मरम्मत के लिए दुकानें भी खुलेंगी। तो मेरा निवेदन यह है कि किसान की तरक्की से ही देश की तरक्की होती है और न केवल किसान की बल्कि सबकी तरक्की होती है। और इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ती है क्योंकि हमें अन्न बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है। इस से हमारे राष्ट्र की आय भी बढ़ती है।

अब सवाल यह है कि किसानों की तरक्की कैसे हो, उनका हित कैसे हो। इस का एक ही तरीका है कि वह जो उत्पादन करता है, उसके उत्पादन का उस को उचित मूल्य मिले। अगर उसे उचित मूल्य मिल जाता है, तो मैं समझता हूं कि उत्पादन बढ़ेगा और देश की हालत अच्छी होगी। अगर आप आंकड़े उठा कर देखें, तो यह पाएगें कि जिस वर्ष किसान के उत्पादन की कीमत बढ़ी दूसरे वर्ष उत्पादन बढ़ गया और जिस वर्ष जिस चीज की कीमत उस को कम दी गई, उस के अगले वर्ष उस चीज का उत्पादन गिर गया। इसलिए कृषि से सम्बन्धित जो वस्तुएं हैं, उनका अगर उत्पादन बढ़ाना है, तो उनका उचित मूल्य उसे मिले। मैं सन् 1952 से देख रहा हूं कि किसानों के उत्पादन का मूल्य जब गिर गया, तो उन चीजों का उत्पादन कम होता गया और जब उन की कीमत बढ़ जाती है, तो किसान ने उत्पान बढ़ाया और देश तरक्की करता चला गया लेकिन आज स्थिति बदल रही है। आज किसान की वह हालत नहीं है। आज अगर आप को किसी के पास ट्रैक्टर दिखाई देता है और आप उस की स्थिति के बारे में पता लगाएंगे, तो पता चलेगा कि ट्रैक्टर का उस पर कितना कर्ज़ा है और वह नीलाम होने वाला है। उस से उस का कर्ज़ा नहीं चुकाया जा रहा है। लोगों को शायद इसका पता नहीं है कि किसानों के पास जो पक्के मकान बने हुए हैं, उनकी मरम्मत कराने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। इतनी आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो गई है कि मरम्मत कराना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। आप अगर देखेंगे और इसकी जांच करवाएंगे, तो आप को पता लगेगा कि जहां किसानों की हालत खराब है, वहां सब की हालत खराब हो रही है और वहीं पर आप देखेंगे कि ये चोरियां और डकैतियां हो रही हैं और इस तरह के काम बढ़ रहे हैं। तो मैं आप के द्वारा कृषि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें और इससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि अगर आप कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो कृषि की बुवाई से पहले मूल्यों की घोषणा कर दीजिए। इस से मैं समझता हूं कि ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा। आंकड़े कुछ भी हों लेकिन मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं क्योंकि कृषि के अलावा मैं और कोई बिजनैस नहीं करता और इस के अलावा मेरा आमदनी का और कोई जरिया नहीं है, कि किसानों की हालत आज अच्छी नहीं है। आप पिछले वर्षों को देखें तो यह पायेंगे कि इस वर्ष किसानों ने गेहूं कम बोया है और लोग कहते हैं कि वसूली इतनी हो गई है।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि अगर गेहूं भीगा नहीं होता, बरसात में नहीं भीग गया होता तो सरकार नहीं खरीद पाती। आज उसकी कीमतें बढ़ रही हैं और किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान जिसने कि मेहनत की, जिसने कि पैसा खर्च किया, दिन-रात उसमें लगाया, उसको 140 रुपये दाम मिलते हैं और जिसने कि अपनी दुकान में भर कर रख लिया, उसको भी उसके

उतने ही मूल्य मिल जाते हैं, उतना वह मुनाफा कमा जाता है। यह अन्याय है। इसको रोका जाना चाहिए। अगर इसको रोका नहीं जाता, इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देश तरक्की नहीं कर पायेगा। आपको चाहिए कि किसानों को गेहूं का उचित मूल्य मिले।

अगर किसानों को उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा तो वह फिर उसी को बोयेगा। अगर किसान गेहूं बोता है और उस पर उसकी लागत दो हजार रुपये आती है और उसको मूल्य तीन हजार रुपये मिलता है तो वह अगले साल भी गेहूँ बोयेगा और चार हजार रुपये की लागत लगा कर बोयेगा क्योंकि तब उसे दो हजार रुपये का फायदा होगा। अगर किसान को दो हजार रुपये लगा कर डेढ़ हजार रुपये मिलते हैं तो वह पांच सौ रुपये का घाटा उठा कर अगले साल एक हजार रुपये का गेहूँ बोयेगा क्योंकि वह सोचेगा इस से उसका नुकसान आधा रह जाएगा। मैं आपके सामने सारे आंकड़े रख सकता था लेकिन मेरे पास समय नहीं है और आंकड़े रखने में काफी समय लगेगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसान अगर तरक्की करता है तो देश तरक्की करेगा। देश की तरक्की के लिए किसान की तरक्की जरूरी है और किसान की तरक्की के लिए उसके उत्पादन का उसे उचित मूल्य मिलना चाहिए। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि जब वह अपनी फसल को बोये तो उससे पहले उसका मूल्य तय हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो किसान की हालत अच्छी नहीं हो सकती है।

मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके एशियाई खेलों की जो टिकटें बिक रही हैं उनको लेने वाले किसान नहीं हैं हालांकि किसानों को कुलक या राजा-महाराजा कह दिया जाता है। आप पता लगा लीजिए कि उनको खरीदने वाले क्या कोई किसान हैं। आप लोक सभा या राज्य सभा के सदस्यों में से देख लीजिए कि जो खेती का काम करते हैं उनमें से कितनों के पास कारें हैं। मेरे विचार में किसी के पास नहीं है। जो खेती के अलावा दूसरा काम करते हैं उनके पास हो सकती है।

मैं आप से कहना चाहता हूँ कि आप किसानों को चाहे कुलक कहें या राजा-महाराजा कहें लेकिन किसानों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए किसानों के लिए यह जरूरी है कि उनके उत्पादन का उन्हें उचित मूल्य दिया जाए। वह उत्पादन के बाद नहीं बल्कि बोने से पहले उन्हें बता दिया जाए।

मैं भी खेती करता हूँ। पिछले वर्ष आयल सीड्स बोये गये थे और इसलिए बोये गये थे कि उनकी कीमत अच्छी मिल जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि गेहूँ ज्यादा बोया जाए तो किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जाए। यह देश की रक्षा के लिए, प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए जरूरी है। साथ ही किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य उनके बोने से पहले तय करें।

सभापति जी, हमारी सरकार डेमाक्रेटिक सरकार है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट बहुमत से किसानों की उपज के जो दाम तय कर दे उसको सरकार को मान लेना चाहिए। यही एक डेमोक्रेटिक सरकार की पहचान है। अगर

कोई सरकार ऐसा नहीं करती है तो वह डेमोक्रेटिक सरकार नहीं है, डिक्टेटरशिप है।

SHRI R.S. SPARROW (Jullunder): Hon. Mr. Chairman, Sir, the subject for today as has been brought in by my Hon. friend Mr. Lakkappa, is of vital interest for the people of India as a whole. I take the liberty to congratulate Mr. Lakkappa on taking such a keen interest in this particular regard. Sir, the support price problem is a core and a very deep problem—whether it be the question of bringing up our national production or the agriculturul production.

Agriculture itself now has come to be or is on the way to be an agro-industry. There is no question of outdated type of views and thoughts in relation to any kind of industry. Here is agriculture, the largest base for India on which the economy of our country depends. From the days of Mahatma Gandhi, 777,000 villages of India and 700 million people of India have directly to depend on agriculture and our economy swirls around this particular base, that is agricultural production. This question directly concerns this particular subject and is not to be taken lightly.

I speak out of my experience. I have had the honour of handling the subject in different capacities, agriculture, food and supply, cooperatives, revenue and so on. Therefore, very humbly, I can only give some pointers for this noble House to keep in view.

As regards the support price or the pricing of agricultural commodities from the hands of the farmer and his work-hand, his friend the farm labourer, they both produce all these commodities and their effort has to be appreciated. If the society of India appreciates their effort, then alone our proper type of thoughts and energies could be fixed on to helping this very large-handed and large-minded type of individual. The production of commodities by the farmer and his work-hand companion is done over long hours and dedicatedly. I cast my eyes back as to how he works. He has no workig hours, he has no factory hours, so to say 8-hour shift or something. He is working sometimes for 18 hours a day and night, for that matter, where you have certain irrigation system to depend on timings and electricity system for pumping water up on timings. He has to work during night time also and for long hours.

Not only that. His spouse, his wife, is a whole-time server for boosing up his own little work for the benefit of the society of India. She is there to help him and tend the cattle, produce food, carry things around, do all household chores and over and above this, to keep the field worker going, that is, the farmer in the field. No one can deny that fact. If some one is working in an industry, after 8 hours are over, he demands overtime. In this case. the answer is, nil. Not only that. Here is the man and his wife working and, on many occasions, if you roam around the country side, you will find his one son or two sons are working by his side without any pay or emoluments. Punjab is very advanced in agriculture. Even the *per capita* thing is at the top. We all know that economically we understand that. When I go around in the villages and see under what plight, under what circumstances, these people are working, I feel horrified and get shocked, frankly speaking. I ask a boy, "Come here, youngman. What is your age?" He replies, "My age is 12 years." I ask him, "Do you go to school?". He says, "No, Sir." I say, "Why". He says, "I have to help my father to work in the field because this field work is not the job of one person."

He is owning not more than 2 or 3 or 5 or 6 acres, may be some even

less. You come to Punjab I give you statistics. Vast majority, 70 to 80% of the farmers, are only owning between 2 to 3 to 6 acres. That is all and to fondle about with that, even in intensive agricultural manner, you have to put yourself on the field like dust to dust. And under these circumstances, if you can help with all the factors that affect his working, I think, it is worthwhile focusing our attention to that.

Coming to the support prices, so many families, poor families, hover around between ourselves and before our eyes, it is easy enough to understand. Do we declare the support price in time ? To my experience, it is not done. It has not been done. Sometimes it is possibly done reasonably well. But on different occasions if you take the statistics, you will find it is not done. I understand the reasons why they do not want to raise prices in speculation form, which will adversely possibly affect markets and so on and so forth. But it is not the real matter. But the person who is concerned with that is not helped. Therefore, we have to watch this angle very very acutely that he is told well in advance as to what is going to be the support price of farm produced commodity. He has, poor chap, sown the field, he has put the seed down and the crop is there. But after that, he cannot manipulate the price one way or the other, go and behold, that even then till the last time and the last day, the support price is not declared.

Therefore, my submission to you, the Hon. Minister, is that this angle must be watched very carefully. We will take umbrage on that one if it is not done. The whole House will take on that one if it is not done.

The second point is that we should have the correct type of plans for the disposal of his crops even after declaring the support price and even if he has grown more than what you possibly had worked out in your plans. But what happens is, he is rated down all along. If there is bumper crop, it is free spree on the part of the middlemen and those who want to cheat him, to take away things from him, in good time and make profits on a large scale elsewhere. That is another angle we have to watch. What plans have you got for disposal ? Have you got any plans for export ? Have you got any plans for distribution all round in India on equitable prices ? If that is to be so, I recall one example. Only a few years ago, there was a glut in potatoes. Glut in the sense that at one place, Punjab, part of Haryana, part of Uttar Pradesh and Himachal Pradesh, so much production of potatoes was there that no one seemed to be interested to move it out to even other places in India. No wonder that there were no plans and it all rotted. So, the plan has to be worked out export plans and internal plans, in good time, so that the advantage goes to the person for whom support price is declared. In some cases, support price is not even declared. This is unfair. The total product of the farmer must have a support price and, after that, the plan has to be made to make certain that the disposal is there, as also proper distribution. And, finally, since you have to give time to others, I may cut short my talk.

My last point is that the economist must work out and give out and spell out as to where the shoe pinches and check the economic state of the persons who work in the fields alongwith their workmates that is, the Khetmazdoors.

You go and see. Take, for instance, Punjab or Haryana. I can say that not one of these family members, not one of their children, can ever aspire and can ever reach the height of competing in examinations like IAS. This question simply does not arise for them. All that advantage goes to the industrial

[Sh. R.S. Sparrow]

people; all that goes to the middlemen and so on. The whole of this big share from economic earning goes to other people, other than the 80 per cent of the rural population of India, that is, the *kisan* and the *khet mazdoor*. This is the yardstick I am showing to you.

Finally, to clinch the point I am trying to propagate, I once again thank Mr. Lakkappa for having brought forward this very fine type of Bill. We will back you up in every way you wish provided our points are noted down and made use of.

MR. CHAIRMAN : Everything has to be concluded by 5.00. So, I call the Minister now....

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : सभापति जी, हम सब को बोलने का मौका दीजिये।

सभापति महोदय : मैं तो समय बढ़ा नहीं सकता। मैं असमर्थ हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): दो, दो मिनट दे दीजिये।

सभापति महोदय : सदन की राय से समय के सम्बन्ध में निर्णय पारित हुआ है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : इस बिल को तो विदड्रा होना है इसलिये सब को बोलने का मौका दें।

सभापति महोदय : तब तो बढ़ाना होगा समय।

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह महत्वपूर्ण विषय है इस पर हम हर बोलना चाहते हैं। आप टाइम लिमिट कर दीजिये। आप से तो उम्मीद है कि किसान के लिए अधिक से अधिक करेंगे।

सभापति महोदय : मैं तो उस वक्त नहीं था। क्या मैं नहीं समझता हूँ कि यह विषय बहुत आवश्यक है, लेकिन जो निर्णय इस सदन ने एक बार कर लिया मैं उसके बारे में मैं क्या करूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : 15 मिनट में बोल देंगे मंत्री जी और लाकप्पा जी। इसलिए सवा पांच तक कर दीजिये। दोनों पक्ष के लोग चाहते हैं कि यह चर्चा चले। आप 2, 2 मिनट या 5, 5 मिनट टाइम लिमिट कर दीजिये।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN) : I will take only ten minutes. You can give some more time to Members.

सभापति महोदय : कृपया बहुत संक्षेप में अपनी बातें आप कहें। जैसे नाम आये हैं वैसे ही पुकारूंगा। श्री आर० एल० पी० वर्मा, आप बोलें।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, लाकप्पा जी ने जो विधेयक रखा है कृषि उत्पादनों का समर्थन मूल्य देने वाला, इसका समर्थन करता हूं। यह देश यों तो कृषि प्रधान है और सारे विश्व में जाना जाता है। लेकिन आज किसानों की हालत इतनी दयनीय है कि सत्तारूढ़ दल के हमारे किसान प्रतिनिधि श्री लाकप्पा जी को इस बिल को रखना पड़ा। हालांकि यह सरकार की ओर से आना चाहिये था क्योंकि आजादी के 35 साल बाद हम सारे देश में किसानों के लिये जो व्यवस्था करनी चाहिये वह अभी तक नहीं कर पाये हैं। आज किसान देश के अन्दर संगठित नहीं हैं जिस तरह से श्रमिक संगठित हैं। अगर किसान भी संगठित होते तो मैं समझता हूँ कि सारे देश में हंगामा ही हंगामा होता। क्योंकि आज 80 प्रतिशत लोग कृषि-उत्पादन पर जी रहे हैं और देश के 5,000

प्रखंड ऐसे हैं जो कृषि के लिये ही हैं, लेकिन अभी तक कृषि की दिशा में न तो स्वावलम्बन आ पाया है और न हमारे देश की सारी जनता को खाद्यान्न की आवश्यकता के लिये उत्पादन हो पाया है। इसका कारण है कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य का समर्थन मूल्य भी नहीं दे पाते हैं।

हमारी सरकार की ओर से कृषि मूल्य आयोग बनाया हुआ है, यह ए० पी० सी० किसानों के दर्द को दूर करने के लिये नहीं बल्कि उनके दर्द को बढ़ाने के लिये है क्योंकि ए० पी० सी० में आई० ए० एस० अफसर हैं जो न तो वहां लघु कृषकों का और न सीमान्त कृषकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसान की खाद बीज, पानी बिजली का कितना मूल्य लगता है कीटनाशक दवाओं में कितनी पूंजी लगती है, इस पर वहां कोई ठीक से विचार नहीं होता है। यही कारण है कि आज कृषि के उत्पादन में जो वृदि होनी चाहिये और मूल्य मिलने चाहियें वह नहीं मिल पा रहे हैं।

आज 40 करोड़ लोग किसान का काम करते हैं जो कि लघु और सीमान्त कृषक के दर्जे में आते हैं, उनकी हालत बहुत बदत्तर है। वह गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, उनके बाल-बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उनका हर तरफ से आज शोषण होता है। व्यापारी, बिचौलिये सब उसका शोषण करते हैं, उनको हम साधारण प्राइस नहीं दे पाते हैं, लाभकारी मूल्य की तो बात ही दूर है। इस दृष्टि से हमें इस दिशा में पहल करनी चाहिये।

आज किसान के गेहूं का मूल्य 142 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जबकि अमरीका का गेहूं 200 रुपये प्रति क्विंटल पर हम मंगाते हैं। इस तरह से किसान का जीवन टूट जाता है, उसमें हिम्मत नहीं रहती है।

16.43 hrs.

[SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the Chair*]

आप बराबर पी एल-480 के द्वारा मंगाते रहिये, दूसरे देशों से भीख मांगते रहिये। भारत ऐसा देश है जो ऐसे और को अनाज खिला सकता है। आज हम 35 वर्षों के बाद इन्दिरा जी पर निर्भर नहीं हैं, इन्द्र भगवान पर निर्भर हैं, हमारी कृषि का मुख्य ढांचा इन्द्र भगवान के ऊपर निर्भर करता है।

सरकार ने जो घोषणा की थी, आर्थिक रिपोर्ट में जो विवरण दिया है, उस में 3 परसेंट 81-82 और 82-83 में और भी उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन देख लीजिये क्या हुआ। इस बार मानसून न आने से, सावन में वर्षा ठीक से न होने से सारे देश में बहुत से प्रान्तों में अकाल के काले बादल छाये हुये हैं। लोगों के पास अनाज खाने के लिये नहीं है। इस प्रकार की स्थिति हो गई है। हमें हर खेत को पानी और हर हाथ को काम दिलाने के लिए पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था करनी है।

ए० पी० सी० का डैमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकरण करना चाहिये और उसमें हमारे लघु व सीमान्त कृषकों को रहना चाहिये। बिजली की दरें वह होनी चाहियें जो हम औद्योगिक दृष्टिकोण से उद्योग वालों को देते हैं, जो कि बहुत कम रेट होते हैं, लेकिन किसान को बहुत ज्यादा दर पर बिजली मिलती है।

कीट-नाशक दवाओं, खेती के लिये बीज आदि दृष्टिकोण से भी विचार करना चाहिये और उसको सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिये। ट्रैक्टर, पंपिंग सैट व दूसरे जितने आवश्यक खेती के औजार हैं, उसके दामों के बारे में भी तुलनात्मक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये। उत्पादन कर मुक्त कृषि औजार कृषकों को मुहैया करना न्याय-संगत है।

इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादन के आधार पर बहुत सी चीजें बनती हैं, जैसे कार्न फुलेक पोटेटो चिप्स और टोमैटो कैच-अप आदि। आज उनका उत्पादन बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं। सरकार को ऐसे उद्योग खोलने के लिए किसानों को हर तरह की सहायता देनी चाहिए, ताकि उनकी स्थिति सुधर सके।

SHRI UTTAM RATHOD (Hingoli) : Mr. Chairman, Sir, I thank Mr. Lakkappa for having brought this Bill before the House.

On several occasions, we have discussed the fate of the agriculturists in this country. You are aware that in a famous Novel 'Yama the Pit' the Russian Writer, Alexander Duprin, had said, that the oldest profession in the world is prostitution and cultivation.

Sir, though the condition of the cultivator has been steadily improving after Independence, I can say that those who are in this particular profession think that proper justice is not being done to them. Sir, they get the prices which are much below, what actually is paid to produce that particular crop. To remove these anomalies, the Government of India appointed the Agricultural Price Commission in the year 1965 and it was expected to advise the Government of India on price policy for agricultural commodities with an object to evolve a balanced and integrated price structure in the perspective of the overall needs of the economy and with due regard to the interests of the producers and consumers'.

Sir, on several occasions, I have said that the A P.C. does not look to the interests of the producers; it only looks to the interests of the consumers. The prices that have been fixed by the A.P.C. as the Support prices are generally on the lower side. Last time, I have quoted the example of cotton. Then, they said that they need not increase the prices of Punjab variety, that is, F 320, because ferteliser price was increased much later the 1980-81 price still continues to-day. If the A.P.C. sleeps on such an important matter, where shall we go? So, I would say that this A.P.C. should be broad-based and you must have on it more people who represent the dry cultivators; also the agricultural labour should be represented. The whole structure of the APC should be changed. Sir, you will be surprised to know that the only cultivator member is Shri Chaudhury whose opinion is never counted. I want that this A.P.C. should be broadbased and the opinion of the cultivators member—should be given more weightage while fixing the support price.

Sir, I have a feeling that the support price and the remunerative price are not one and the same thing. The support prices, as I have said, are generally put on the lower side by the APC because they represent the consumers and not the producers. So, Government also gives Re. 1 or Rs. 2 more to them and then they finish with it. I would say that in the interests of the cultivators or first of all, please restructure the A.P.C. so that they may give us a better price, if not the remunerative price. Sir, a cultivator works under different handicaps. First of all, he has

to depend on monsoon. You know how the monsoon affects agriculture in this country. Secondly, this crop which he has produced cannot be piled up for years together. Suppose he keeps the foodgrains for more than two years, it is damaged. This is a perishable commodity. This is another handicap of this man.

I would, therefore, say that the A.P.C. should be broad-based and some warehousing facilities should be given for the benefit of the cultivators in the rural areas and credit facilities to the agriculturists may also be liberalised and the rate of interest should be reduced.

MR. CHAIRMAN : Shri Jatiya.

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, इस समय हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इस देश की जनता का अधिकांश भाग कृषि-कार्यों पर निर्भर है। इस विधेयक के द्वारा हमें उसकी स्थिति पर विचार करने का सुअवसर मिला है। मैं आप से एक ही बात पर विचार करने के लिए कहना चाहता हूं कि जब किसान के खेत में अनाज पैदा होता है उस वक्त किसान से कम कीमत पर उसकी खरीद कर ली जाती है। सारा अनाज जब किसान के पास से खरीद लिया जाता है तब कीमतें बढ़नी शुरू होती हैं अनाज महंगा हो जाता है। किसान को भी वह महंगा मिलता है, जनता को महंगा मिलता है और जब किसान फिर बीज खरीदता है तो उसे उस की दुगुनी कीमत पर खरीदना पड़ता है। मैं यह सोच नहीं पाता कि हमारी कृषि नीति में कहां कमी है कि जो दाम हम तय करते हैं किसान के लिए एक बार, उन दामों के अन्दर लगभग डेढ़ गुनी और दुगुनी वृद्धि हो जाती है। इस से मैं ऐसा समझता हूँ कि कृषि नीति में कहीं न कहीं कमी है जिसको दूर किया जाना चाहिए। सारे वर्ष भर एक ही कीमत स्टेडी बनी रहे, उस के लिए कारगर उपाय करने चाहिएं। अगर हम यह कर पाये तो बहुत सारी बातें ठीक हो पाएंगी। जनता को अनाज सस्ता मिलेगा। किसान को बीज समय पर और सस्ता मिले इस बात के ऊपर ध्यान देने की भी बहुत आवश्यकता है।

मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। कृषि का मूल आधार सिंचाई है। जितनी ज्यादा से ज्यादा सिंचाई की क्षमता उपलब्ध हो पाएगी उतना ही किसान को अधिक उत्पादन करने में सहयोग मिल सकेगा। सब लोग जानते हैं कि सारे देश में जितनी धरती है उस पर एक या दो फसल ज्यादा से ज्यादा होती है। तीन या चार फसल लेने की स्थिति कहीं भी नहीं है। तो जितनी जमीन हैं उस पर अधिक से अधिक फसल उत्पादित की जाय और उसका आधार है सिंचाई। तो सिंचाई के सारे मामले पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाय।

हम ट्रैक्टर और डीजल इन सारी चीजों पर बहुत कुछ कहते हैं, परन्तु गोवंश का जो सुधार है उस के ऊपर ध्यान देना हमने छोड़ दिया। छोटी छोटी खेती की जो जमीन है उस पर ट्रैक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। यदि गाय पालन पर और उसके बछड़े पर ध्यान दें, बैल का विकास करके अच्छे बैल की नस्ल पैदा करने पर ध्यान दें तो मैं समझता हूं छोटे छोटे जो किसान हैं उनको उससे बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि छोटे छोटे खेतों में ट्रैक्टर काम नहीं दे सकते, वहां बैल ही काम दे सकते हैं। इसके साथ ही दुग्ध अधिक उत्पादित करने में और श्वेत क्रान्ति करने में हमें सफलता मिलेगी। श्वेत क्रान्ति और हरित क्रान्ति को भी हम पूरा कर पायेंगे। इसलिए

[श्री सत्य नारायण जटिया]

गौवंश सुधार के लिए भी अधिक मदद करने की आवश्यकता है।

कृषि के लिए ऋण मिलने में भी बहुत मुश्किल होती है। किसान जब ऋण प्राप्त करने के लिए जाता है तो उसकी जमीन की कीमत कौड़ियों के मूल्य आंकी जाती है। मेरा यह कहना है कि उसकी जमीन की कीमत का ठीक तरह से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से किसी उद्योग को बढ़ाने के लिए हम चार प्रतिशत पर ऋण देते हैं उसी तरह क्यों नहीं किसान को भी 4 प्रतिशत पर ऋण दिया जाता? मेरा आग्रह है कि किसान को भी उसी दर पर ऋण दिया जाना चाहिए और कृषि को भी अन्य उद्योगों की तरह एक उद्योग के रूप में ही लिया जाना चाहिए। कृषि का उद्योग हमारे देश में एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में बहुत पुराने समय से प्रतिष्ठित है। आज भी हिन्दुस्तान की आबादी का बहुत बड़ा भाग कृषि पर ही आधारित है। इसलिए कृषि पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

गांवों को शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए। बरसात के दिनों में सारे ही गांव शहर से कट जाते हैं। मेरा यह कहना है कि आप फेयर वेदर रोड बनाइए। कोई बहुत मजबूत सड़क बनाने की बात नहीं है, कोई नेशनल हाईवे जैसी सड़क बनाने की बात नहीं की जा सकती लेकिन ऐसी सड़क बनायी जा सकती है जिससे कि साल के कुछ एक महीने जो बरसात के होते हैं उनको छोड़ कर बाकी सारे समय उसका सुगमता से आवागमन शहर से बना रहे जिससे कि वह अपना अनाज निकाल कर शहर ले जा सके। देश के अन्दर किसान के पास बहुत ज्यादा होर्डिंग करने की स्थिति नहीं रहती, वह बहुत ज्यादा संग्रह नहीं कर सकता। उसको ठीक कीमत मिल सके तब सारी परेशानी दूर होगी। मैं इस विधेयक की भावना से अपनी सहमति प्रकट करता हूं।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक सिद्धांतों के सम्बन्ध में सब से पहले यह कहा है कि फूड ग्रेन इज दि करेंसी आफ आल दि करेंसीज। इसलिए किसी भी देश में अगर उसकी आर्थिक व्यवस्था को समुचित और संतुलित ढंग से देखना और चलाना है तो विशेष रूप से उस देश को खाद्यान्न के भाव और उसकी पैदावार के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। जो देश खाद्यान्न में आत्म निर्भर नहीं हैं चाहे वह बड़े देश हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं या समाजवादी देश हैं उन में भी सब से पहले उन का जो दृष्टिकोण है और जीवन में सब से पहला जो उनका अप्रोच है वह यह है कि वह खाद्यान्न में आत्म-निर्भर हों चाहे वह रशिया हो या और दूसरे मुल्क हों, अमेरिका हो या कैनाडा हो, कोई भी मुल्क हो। यही हिन्दुस्तान के अन्दर है कि आप जब तक अन्न को पैदा करने वाले किसान को लाभकारी मूल्य नहीं देंगे और जितना उसका खर्चा होता है उससे उसको लाभ नहीं हुआ तो उसे कोई इंसेन्टिव नहीं मिलेगा और हम आत्म-निर्भर नहीं रह सकेंगे। अभी मूल्य निर्धारण के लिए जो नीतियां निर्धारित हुई हैं उस में चार कान्सेप्ट हैं : कास्ट ए-1, कास्ट ए-2, कास्ट बी और कास्ट सी। लेटेस्ट कांसेप्ट कृषि मूल्यों के निर्धारण के लिए जो दिया है उसका तात्पर्य यह है कि किसान जो स्वयं मैन्युवल लेबर करता है उसको भी शामिल करके मूल्य निर्धारण किया जाएगा

लेकिन ए पी सी इस साइन्टिफिक क्राईटीरिया को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ए पी सी ने खरीफ के बारे में जो रिपोर्ट दी है उसमें उसने स्वीकार किया है कि इस समय जो कास्ट का ट्रेण्ड है वह बढ़ रहा है और इनपुट्स की कास्ट इतनी अधिक बढ़ गई है कि वह कन्ट्रोल से बाहर है। इसके लिए उन्होंने लिखा है :

'For the last some years, prices of these coarse grains have remained unremunerative. In the meantime, costs of all inputs, agricultural implements and machinery, hiring and maintenance charges of human, animal and machine labour, cultivation costs and land value etc. have increased considerably. As a result of such rise in production costs, prices of other foodgrains and commercial crops have also increased considerably.'

— APC's Report on Price Policy for Kharif Cereals for 1981-82 season.

मेरा सबमिशन यह है कि खुद ऐसा मानते हैं कि इनपुट्स की कास्ट-फर्टिलाइजर, बिजली, पानी—बहुत बढ़ गई है लेकिन इसके साथ-साथ जब तक आप किसान की मेहनत का कंसिड्रेशन करके मूल्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक उसको कोई फायदा नहीं होगा। यह केवल किसान का ही सवाल नहीं है। कुछ भाइयों ने कहा कि कुलक्स का सवाल है, लेकिन मैं नेशनल सैम्पुल सर्वे की 1970-71 की रिपोर्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि देश में जो खेती करने वाले हैं उनमें करीब 20-25 करोड़ ऐसे मार्जिनल और स्माल होल्डिंग्ज वाले काश्तकार हैं जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। उनको इन होल्डिंग्ज से किसी सूरत में फायदा नहीं हो सकता है। आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि वेस्ट बंगाल, यू. पी. और तमिलनाडु में इसका जो रशियां है उसका परसेन्टेज बढ़ता जा रहा है। उन्होंने बताया है :

'Agricultural holdings have become smaller and smaller in areas. Between 1970-71 and 1976-77, that is, within six years, the percentage of small and marginal holdings increased from 78.9 to 84.6 in Bihar, from 82.3 to 87.1 in West Bengal, from 84 to 85.8 in U. P. and from 79.7 to 82.9 in Tamil Nadu. Such a picture also emerges from the Twenty-Fifth Round of National Sample Survey covering the 1970-71 period."

दूसरी बात यह है कि इस देश में किसानों के अलावा सात करोड़ लोग ऐसे भी हैं जोकि खेतिहर मजदूर हैं। इसलिए जबतक आप खेती के साथ खेतिहर मजदूरों को भी सम्मिलित नहीं करेंगे तबतक खेती का प्रोडक्शन बढ़ नहीं सकेगा। उनके लिए आपको मिनिमम वेजेज का निर्धारण भी करना होगा।

अन्त में मैं एक सुझाव यह देना चाहूंगा कि कृषि करने वाले व्यक्ति को इस देश में तबतक प्रोत्साहन नहीं मिल सकता है जबतक कि कृषि को भी उद्योग नहीं मानेंगे। साथ ही कृषि जिन्सों के मूल्य फसल बोने से पहले ही तय हो जाने चाहिए। जब तक ए. पी. सी. ऐसा नहीं करेगी तबतक किसानों को उनकी उपज का फायदा नहीं मिल सकता है।

आप कहते हैं कि किसान को डिस्ट्रेस सेल नहीं करना पड़ता है लेकिन किसान डिस्ट्रेस सेल करता है इसलिए कि आपको जितने भी ड्यूज है — इरीगेशन, बिजली और कोआपरेटिव के ड्यूज — वह अप्रैल के महीने में ही वसूल किए जाते हैं। इसलिए

जब तक आप वसूली का पीरियड चेंज नहीं करेंगे तब तक डिस्ट्रेस सेल को बचा नहीं सकते हैं। इन्हीं सुझावों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : माननीय सभापति जी, मैं श्री लक्ष्मा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सदन में पुरानी मांग को रखा और उस पर बहस करने का मौका दिया।

पैंतीस वर्ष के स्वराज्य में स्वराज्य किसान की झोंपड़ी तक नहीं पहुँच पाया। आज भी आजादी के पहले की तरह जाड़े की कड़कती हुई सर्दी, फटें हुए कपड़े, वर्षाकाल में भीगते हुए और अंधेरे में अपना पानी बांधते हुए दीखता था, उसकी घर या झोंपड़ी ऐसी ही बरसती थी, जैसी कि बाहर वर्षा होती है—उसकी हालत ठीक वैसी ही है। हो सकता है कि दस प्रतिशत किसानों को सफेद कपड़े पहनने को मिल गए हों, उनके मकान बन गए हों, लेकिन आम छोटे किसान की हालत उसी प्रकार की है।

श्रीमन्, यह वर्ष आप उत्पादकता का वर्ष मना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि खाली उद्योगों में ही आप उत्पादकता वर्ष मना रहे हैं या कृषक के लिए भी उत्पादकता का वर्ष है? अगर है, तो उसे आपने क्या सुविधायें दी हैं? अभी व्यास जी बड़ी हिमायत कर रहे थे कि सरकार ने बहुत काम किया है। लेकिन इस सरकार ने ट्रैक्टर का दाम बढ़ाया, खाद का बहुत ज्यादा दाम बढ़ाया। बिजली, पानी, डीजल, बीज और लगान-सभी चीजें आपने बढ़ा दी हैं और आप कह रहे हैं कि सरकार ने बहुत काम किया है। किसान के लिए कम से कम जनता पार्टी के शासन काल में, चाहे उसका शासन कैसा भी रहा हो, उन्होंने खाद के दाम गिरा दिए, बिजली तथा पानी के दाम को सही रखा और उन्होंने इसके अलावा···

श्री राम प्यारे पानिका : उन्होंने किया क्या है?

श्री गिरधारी लाल व्यास : उन्होंने कुछ काम नहीं किया है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : उन्होंने तेल का दाम नहीं बढ़ने दिए, आप ने तो तेल का दाम बहुत अधिक बढ़ा दिया। खाद के दाम आप ने 40 रु० बोरी बढ़ा दिए। इसी प्रकार आपने खाद और बिजली के दाम भी बढ़ा दिए। जहां तक बिजली का संबन्ध हैं, बिजली भी देहात में पांच या छः घण्टे से ज्यादा कहीं नहीं मिलती है। यह पुरस्कार आपने किसान को दिया है और आप उत्पादकता वर्ष मना रहे है। मुझे लगता है कि आपने किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई है।

व्यास जी ने अभी कहा यहां सब जमींदार और राजे, जो इधर काम करते हैं, उन्हीं के पास जमीनें और दूसरी चीजें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जब मैं 1968 में यू. पी. विधान सभा का सदस्य था, उस वक्त एक सर्वे किया गया। उस सर्वे में 167 राजा कांग्रेस की तरफ, जो कि रूलिंग पार्टी थी, उसमें थे और कुल 12 अपोजीशन में। अब मैं आपको एक-एक प्वाइंट पर आप को सुझाव देना चाहता हूं।

पहला सुझाव मेरा यह है कि ए. पी. सी. की जगह प्राइस कमीशन जनरल होना चाहिए जो सभी मूल्यों का संतुलन बनाए रखे। किसानों के काम में आने वाली चीजें खाद, बिजली, पानी, डीजल, बिजली का दाम घटाना चाहिए, न कि बढ़ाना चाहिए। सबसे प्रमुख बात जो हमारे माननीय सदस्यों

ने कहीं कि कृषि को उद्योग माना जाना चाहिए और उसके अनुसार उसको सुविधायें मिलनी चाहिए, जैसे कि किसी उद्योग वाले को मिलती हैं । आज हालत यह है कि जो बड़े-बड़े कारखाने हैं, उनकी तरफ अरबों रुपया बकाया है लेकिन उनके कारखानों को नीलाम नहीं किया जाता है, कुर्क नहीं किया जाता है, परन्तु यदि किसान के पास बकाया रह जाता है तो उसके गाय, भैंस और घर के बर्तन तक नीलाम करा दिये जाते हैं । मेरा एक सुझाव यह भी है कि ए० पी० सी० के दफ्तर हर स्टेट में खोलने चाहिएं ।

कृषि वस्तुओं के दाम समय से पहले, बोने से एक मास पहले, तय किये जाने चाहियें ।

देहातों की भूमि आप अभी तक नहीं बांट पाये हैं । आप चाहे जितना कहें, दूसरे लोग अभी तक उन जमीनों पर कब्जा किये हुए हैं । यहां तक कि गांव सभा की जो पट्टे की जमीनें हैं वे भी खाली नहीं है । 1 या 2 बीघे ज़मीन यदि आप ने किसी को दी भी है तो वह उस में कुछ नहीं कर सकता । इस तरफ आप को ध्यान देना चाहिये ।

किसान के परिश्रम से तैयार की हुई फसल का आप क्या करते हैं—मैं आपको उदाहरण देता हूँ—चण्डीगढ़ में करोड़ों रुपये का गेहूँ, जो एफ० सी० आई० का खरीदा हुआ है, पड़ा हुआ सड़ रहा है । मेरे क्षेत्र बीसलपुर में 80 लाख रुपये का चावल जो तीन साल पहले का खरीदा हुआ है, पड़ा हुआ सड़ रहा है, वहां से उस को अभी तक हटाया नहीं गया है । इस तरह से आप किसान के परिश्रम की कमाई की दुर्गति कर रहे हैं ।

कन्ज्यूमर के लिये बहुत कुछ कहा जाता है । कन्ज्यूमर को आप रीजनेबिल प्राइस पर अनाज दीजिये और जितना पैसा उसमें ज्यादा लगता है उसको सरकार वहन करे । आप बाहर से 200 रुपये क्विंटल पर गेहूँ खरीद कर कन्ज्यूमर को 180 रुपये पर दे सकते हैं, इसका मतलब है आप बाहर से मंहगा खरीद सकते हैं, लेकिन काश्तकार को अधिक दाम नहीं दे सकते । यह गलत बात है ।

जहां तक बैंकों का ताल्लुक है-हमारे यहां पंजाब और सिन्ध बैंक हैं । कहा जाता है कि वह सब जगह पहुँच गया है, लेकिन वह सिवाय पंजाबियों के दूसरों को कर्जा नहीं देता । मेरे क्षेत्र में पंजाबियों को देता है, दूसरों को नहीं देता है । इसकी तरफ आप का ध्यान जाना चाहिये ।

आप चाहे जितनी बात करें, लेकिन मैं इतनी सी बात जरूर कहना चाहता हूँ—मेरे पास कुल 3 एकड़ जमीन है, मैं कोई राजा-महाराजा नहीं हूं—

सितमगर तुझ से उम्मीदे
वफा होगी जिन्हें होगी,
हमें तो देखना यह है
कि तू कातिल कहां तक है ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN) : Mr. Chairman.

Sir, I would like to congratulate Shri K. Lakkappa on bringing forward this Bill and giving a chance to the Members to discuss this important subject. I also congratulate the large number of Members who have participated in this discussion and given their views on various aspects of this subject.

[Shri R. V. Swaminathan]

In fact, Shri Lakkappa has been made a hero of this.

Sir, the main points stressed under this Bill are :

1. The Support Prices may be fixed by the Government before every agricultural season;
2. Support prices for different agricultural commodities may be fixed for different regions ; and
3. The Central Government shall arrange for procurement of agricultural commodities at the announced prices through cooperative marketing societies.

These are the three points that the Bill contains, but many Hon. Members talked about the entire aspects of the agriculture.

In the Statement of Objects and Resaons, the Hon. Member has also referred to the fixation of remunerative support prices.

Sir, I may assure the Hon. House that this Government is fully aware of the need for providing remunerative prices for agricultural produce. The Agricultural Prices Commission while recommending support price takes into consideration, among other things, the cost of production of the commodity, increase in the prices of agricultural inputs as also the changes in terms of trade between agricultural and non-agricultural sectors. In this way, it is ensured that the farmer gets remunerative price, has adequate incentive to adopt new technology and improve his productivity and income.

The Hon. Member has proposed that prices should be announced before the agricultural season. I may submit that the adoption of this approach may not necessarily benefit the farmers. If the Government announces support prices shortly before harvest, it can take into account increases in input costs, latest changes in market prices of the relevant commodity as also the latest situation regarding the terms of trade between agricultural and non-agricultural sectors. This approach seems to be more beneficial for the farmers.

It has been proposed that support prices for different commodities, should be fixed for different regions. This question was examined in detail by the National Commission on Agriculture. They did not favour the idea. One reason was that this would encourage speculation and hoarding by trade, for benefiting from differential prices. Secondly, there may be need for zoning and cordoning, for procurement or for effective enforcement of prices. This would involve a huge administrative expenditure. Thirdly, it would encourage investment in less efficient areas.

The Hon. Member has also suggested procurement of commodities at announced prices through cooperative marketing societies. As Hon. Members are aware, the Central and State Governments are already depending on cooperative marketing federations and societies for procurement and market support operations. In recent years, the market support operations for cotton, jute, potatoes and onions have been increasingly organized through NAFED and State Cooperative Marketing Federations and Societies. It has, however, to be recognized that in many cases, farmers are able to sell at prices considerably higher than the prices fixed by the Government. The farmers have the option to sell wherever higher prices are available. It would not be desirable to force them to sell at the procurement prices when they can get higher prices in the open

market. Further, cooperative marketing societies are being strengthened, and it will take some time before they are able to play a dominant role in the marketing of agricultural produce.

Sir, all such aspects of the Bill as are beneficial to the farmer, are already being taken care of by the Government. Certain other aspects which are not decidedly beneficial to the farmer, would be difficult for the Government to accept. In view of this, we would not favour the Bill to be passed. Moreover, passing of the Bill, even with some amendments, will not be acceptable to the Government, in view of the position I have indicated.

There are certain other points made by several Members. One was that the Agricultural Prices Commission should be made a statutory body. If this suggestion is accepted, Government will have no option to pay higher prices ; and whatever prices it fixes if it is a statutory body, we will have to accept and pay the same. At present, in many instances we have given more than what the Agricultural Prices Commission have recommended. So, it is not proper to make it a statutory body.

Then there is also a plea that the APC should be reorganized. This aspect was gone into by the National Commission on Agriculture ; and they have come to the conclusion that there should be one Chairman and three members, and out of them, one should be a farmer. Now a practical farmer, a farmer who is really interested, is there as a member—Mr. Dalbir Chaudhri. He is representing the farmers' interests.

Some Members suggested that the principle of parity should be observed, i.e. that parity should be there in the fixing of prices. One of the terms of reference of the APC is that they should take into account the changes in the terms of trade between agricultural and non-agricultural sectors. Therefore, it is not possible to adopt parity also. Input prices should be fixed by a statutory body. It is also not possible. The Important input is fertilizer. When Government fixes the price for fertilizer, they take all aspects into account and particularly the interest of the farmer is taken care of. We give subsidy. In 1980-81, we gave Rs. 505 crores as subsidy. Besides this, small and marginal farmers are also given some additional subsidy. We also give subsidy for certified seeds and labelled seeds. For seeds also additional subsidy is given to small and marginal farmers.

Electricity is also charged at a very concessional rate compared to the charges that are made for domestic and other things. For agriculture, it is charged at a very low and minimum rate. Therefore, the Government is giving all the benefits to them taking into account various aspects.

Many members have made various suggestions. All these suggestions are in our mind. All these points will be taken into consideration. Now, I request the Hon. member Shri Lakkappa,—who has brought forward this Bill—he has done a very good thing—for that, I again congratulate him—to withdraw his Bill.

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur) : Mr. Chairman, Sir, at the very outset, I would like to congratulate my colleagues on both sides who have expressed their concern and have supported the Bill. It shows that they have really spoken from their hearts. Some of the members were very effective and practical and they have brought out many points. I hope there will not be any political consideration at all taking the overall picture into consideration. My Bill is based on a simple reason and that

[Shri K. Lakkappa]

is that the Government of India should announce support price, remunerative price for the farmers for the agricultural commodities including various other items. This is a simple measure. While taking into consideration the experience of the measures taken, experience of the Government and the experience of the functioning of the APC, members on both sides of the House have expressed a view that there should be some structural changes in the overall functioning of the APC, as far as benefits for the farmers are concerned.

The Hon. Minister believes that there should be a revolutionary change in the system of helping the poor farmers. But I know that his hands are tied because of various reasons. I do not want to say, but he also feels happy that the Bill has been discussed in this House in detail.

There is a national commission which has set out the reasons. I do not know or even understand it. The people are packed in that commission—one single agricultural family of a member who represents Haryana or Andhra Pradesh or elsewhere. He is put in that commission. He is competent to go through the process of benefits for the farmers of this country. They say that the farmers are the backbone of this country, but still they gamble with the monsoon. What is their economic position in this country and how they are not at par with other sections of the society ? This has to be considered. I have also mentioned about it in the Statement of objects and Reasons. He has also set out certain examples. The small farmers are growing smaller.

The small farmers are suffering. They are not taking agriculture seriously and the economy of this country is based on them. It is time that the Government of India does something for them. Under the leadership of Shrimati Indira Gandhi the Gordian Knot has been cut. The zamindari system in this country has been abolished. The feudal character of this country has been changed. The deep rooted myths have been discarded. Resolutionary ideas are being adopted. The theory of the sons of the soil is being accepted. As a result of all this, effective land reforms have taken place. After the land reforms rural reconstruction is taken up. But where is the rural reconstruction of the economy as far as the rural masses or the farmers are concerned ?

My dear friend, Shri Sparrow had mentioned one point. He has really spoken about the pitiable condition of the working classes, and the small farmers. They may have a small holding; it may be two acres or six acres or ten acres. Today there is no zamindari system in this country. The entire family of the small farmer works. There is no remunerative price fixed for them. They work under the sun. There is no protection for them, no overtime payment and no insurance cover for the risk they take. Is there any such thing even after the revolutionery changes of land reforms? Therefore the Ministry of Agriculture should do something to remove these anomalies like the disparities between the agricultural classes and other sections of the society. Today, the object is to give remunerative prices. There should be absolutely no difficulty in a developing nation like India which is based on agriculture to do this. There should be no speculative trade at all. Today we are losing foreign exchange because there is record surplus production of sugar and the prices have gone down. We cannot export and so we cannot earn foreign exchange. You cannot give the facilities to the farmers. And the accumulated price

which is due from the mill owners will be more than Rs. 100 crores. According to the reports they are also not able to pay it to the farmers. Therefore, what can the farmers do? Why should you not announce the price at the time of the sowing season taking into consideration the size of the country, the vagaries of nature and the different systems prevalent in different parts of the country? It may be dry farming, it may be semi-dry farming or it may be assured irrigation supply, but we have to take into consideration all these factors. We have got long rivers and natural resources in this country. We have to exploit them for the benefit of the mankind and for the benefit of the country and the farmers. Eighty per cent of the farmers are represented here in Parliament. Their opinion should prevail upon the wisdom of the Members of Parliament. But the bureaucrats who are sitting in the Commission where there is only one farmer cannot solve the problems of the farmer.

The FCI cannot take decisions because it is guided by various rules. The State Co-operative system has also been eroded and their functioning in the various States is only on paper. We have to strengthen the cooperative societies. To buy their necessities, to procure the items they require the farmers have to be helped ; prices have to be stablished. It is not difficult. We have to protect the consumers also. For that we have to strike a balance between the consumer and the farmer. It is not that we should not give the right price to the consumer. It is not that we should disturb the consumer. Therefore, what we should do is, we should have a net work operations and a good distribution system. In Mexico the whole system of agricultural marketing and processing is channelised by one agency. There the marketing system in the rural areas is deeply rooted.

MR. CHAIRMAN : Please have consideration for your friends also, who have to move their Bills.

SHRI K. LAKKAPPA : I must just concluding. The socialist, capitalist and even developing countries have taken care of their agriculture, the agricultural system and the price system. We should strike a balance between the consumer and the grower. Today the growers are withering away because of the announcement of unremunerative prices by the APC. APC has no power. My friend, Mr. Swaminathan, has said that APC cannot have a statutory power to take any position. Many of their suggestions, which are helpful to the farmers, have not been implemented by the Government. Therefore, a re-thinking on the whole situation is necessary.

Our Government has taken many steps. Some of the measures adopted by our Government, are helpful to the farmers. But some of the measures have not been given shape. That is why, the farmers are not getting remunerative prices. The economy of this country has to be balanced. The Government should see that a certain image of the country is built up. It should bring about certain revolutionary and structural changes on the basis of the observations made by the Hon. Members.

I hope and trust that our Government would make still more revolutionary and structural changes in the system so that the poor farmers are helped and proper fixation of prices both for the consumers as well as farmers, is there.

I think, we have certainly drawn the attention of the Government and the Agriculture Ministry to this aspect. Both the Ministers are here. Keeping in view the observations made by the Hon. Members, I hope, they will make certain meaningful changes in the system.

With these words, I beg to move for leave to withdraw the Bill to provide for the fixing of a remunerative support price for sugarcane, pulses and other agricultural commodities.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to withdraw the Bill to provide for the fixing of a remunerative support price for sugarcane, pulses and other agricultural commodities."

The motion was adopted.

SHRI K. LAKKAPPA : I withdraw the Bill.

17.29 hrs.

DELHI RENT CONTROL (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of Section 2, etc.)

SHRI V.N. GADGIL (Pune) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Delhi Rent Control Act, 1958.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Delhi Rent Control Act, 1958."

The motion was adopted.

SHRI V.N. GADGIL : I introduce the Bill

ONE FAMILY ONE POST (IN GOVERNMENT SERVICE) BILL*

SHRI K. RAMAMURTHY (Krishnagiri) : I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for appointment of only one person from a family in public services and posts in connection with the affairs of the Union.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for appointment of only one person from a family in public services and posts in connection with the affairs of Union."

The motion was adopted.

SHRI K. RAMAMURTHY : I introduce the Bill.

LAND ACQUISITION (AMENDMENT) BILL*

(Amendment of section 4, etc.)

SHRI K. RAMAMURTHY (Krishnagiri) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Land Acquisition Act, 1894."

The motion was adopted.

SHRI K. RAMAMURTHY : I introduce this Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(Substitution of article 338, etc.)

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponuani) I beg to move :**

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

Sir, the Bill seeks to amend....

MR. CHAIRMAN : You will continue next time.

---

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, Section 2, dated 6-8-1982.

**Moved with the recommendation of the President.